राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी ब्रह्मलाल जाट आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 34/2023 अपील

1. श्रीमती घीसीदेवी पुत्री स्व. भूरा गाडरी पत्नी काषीराम गाडरी निवासी तस्वारिया हाल निवासी सवाईपुर तहसील कोटडी

बनाम

1. भगवान लाल पुत्र नारायण लाल गाडरी निवासी तस्वारिया, गाडरी मौहल्ला, पोस्ट सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा
2. श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी लक्ष्मीलाल नहार निवासी अहमदाबाद
3. दयाराम गुर्जर पुत्र बालूराम गुर्जर निवासी भवानीनगर, हलेड रोड, भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा

–अपीलार्थी

–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज० लेण्ड रेवन्यू एक्ट
मान. न्यायालय संभागीय आयुक्त अजमेर से प्रकरण रिमाण्ड

उपस्थित –

1. श्री पृथ्वीराज चौधरी अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. श्री अब्दुल रसदी पठान अधिवक्ता – रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की ओर से
3. श्री भगवान लाल शर्मा अधिवक्ता – रेस्पोडेण्ट संख्या 02 की ओर से
4. श्री प्रकाश सारस्वत अधिवक्ता – रेस्पोडेण्ट संख्या 03 की ओर से
5. राजकीय अभिभाषक – रेस्पोडेण्ट संख्या 04 की ओर से

निर्णय

दिनांक 11.12.2023

माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त अजमेर से पत्रावली इस न्यायालय को रिमाण्ड कर निर्देशित किया गया कि प्रकरण में विवादित आराजियात से संबंधित प्रभावित सभी पक्षकारों को पक्षकार बनाया जाकर विधिवत सुनवायी की जाकर नये सिरे निर्णय पारित किया जावे। प्रकरण रिमाण्ड होने से पुनः दर्ज किया गया। विपक्षीगणों को सुनवायी हेतु नोटिस जारी किये गये। अपीलार्थी की ओर से अपील मेमों प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम तस्वारिया तहसील एवं जिला भीलवाडा की आराजी संख्या 289, 290, 300, 301, 310 किता 05 कुल रकबा 1.243 हैक्ट., आराजी संख्या 241, 242, 302 लगायत 309, 311 कुल किता 11 कुल रकबा 3.4140 हैक्ट. कुल किता 16 रकबा 17 बीघा 11 बिस्वा के खातेदार भूरा पिता मोडा रहे, जिनके एक पुत्र मोती व पुत्री घीसी वारिसान रहे

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

पुत्री थी, जिसका 1/6 हिस्सा पूर्व में ही तय किया जा चुका है। मोती की पत्नी देउ गाडरी का 1/6 हिस्सा भूमि (19/135) पुष्पा देवी रेस्पोडेण्ट संख्या 02 को विक्रय कर दी हैं, जो खातेदार थी। शेष रकबा देउ के स्थान पर रेस्पोडेण्ट संख्या 01 भगवान गाडरी के नाम दर्ज रिकार्ड है। घीसी देवी ने अपना हक हिस्सा रेस्पोडेण्ट संख्या 03 दयाराम को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के बैचान कर दिया। इस प्रकार अब उक्त वादग्रस्त आराजियात में रेस्पोडेण्ट संख्या 01 का 7/270 हिस्सा, रेस्पोडेण्ट संख्या 02 का 19/135 हिस्सा, एवं 1/6 हिस्सा रेस्पोडेण्ट संख्या 03 के नाम रहेगा। अतः निवेदन हैं कि उक्तानुसार हक हिस्से अनुसार प्रकरण का निस्तारण फरमाया जावे जो न्यायोचित एवं आवश्यक हैं।

रेस्पोडेण्ट संख्या 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब एवं लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रकरण में अपीलार्थीया द्वारा भूरा पुत्र मोडा गाडरी का सजरा गलत तौर पेश किया गया हैं। घीसी भूरा की पुत्री नही होकर गेलड के रूप में आयी। उक्त वादग्रस्त आराजियात भूरा की स्वअर्जित होने से एकमात्र वारिस मोती था तथा मोती के फोत होने के बाद उसकी पत्नी देउ ने रेस्पोडेण्ट संख्या 01 को रजिस्टर्ड गोदनामें दिनांक 03.11.2011 को गोद लिया तथा देउ की मृत्यु उपरांत उक्त वादग्रस्त आराजियात का हक एवं अधिकार रेस्पोडेंट संख्या 01 का हैं। उक्त प्रकरण में अपीलार्थीया घीसी के पिता हजारी गाडरी थे, जिनकी गौत्र गुर्जर थी। इनका गांव कंकोलिया है। भूरा द्वारा छीतर की बेटी जेती गांव चमनपुरा की दूसरी नाते लेकर आया, जो घीसी उसके साथ गेलड के रूप में आयी है। घीसी भूरा की लडकी नहीं हैं, इसकी सत्यता बगडावत की पौथी से स्पष्ट होता हैं। निवेदन हैं कि अपीलार्थीया की अपील खारिज की जावे। विपक्षी संख्या 01 के अधिवक्ता ने विधिक दृष्टान्त आर आर डी 1987 रामगोपाल बनाम श्रीमती रामनाथी बाई पेज नं. 97 एवं आर आर डी 1908 फत्ताराम बनाम मोहनराम रेवेन्यु बोर्ड अजमेर पेज नं. 168 पेश किये हैं।

रेस्पोडेण्ट संख्या 02 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि घीसी देवी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 03 में वर्णित हिस्से अनुसार निर्णय पारित किया जावे एवं राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में अमल दरामद कराने का आदेश प्रदान करावे।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। माननीय संभागीय आयुक्त अजमेर के निर्णयानुसार प्रकरण में प्रभावित सभी पक्षकारों को पक्षकार बनाया जाकर

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

उनकी विधिवत सुनवायी की गयी। पत्रावली का आद्योपान्त गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया और पत्रावली में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिसके उपरान्त यह पाया कि नामान्तरकरण संख्या 121 पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट मुताबिक पक्षकार की समुचित सुनवायी किये बिना ही एवं भूरा पिता मोडा गाडरी के विरासतन की सम्पूर्ण जानकारी किये बिना ही तहसीलदार को रिपोर्ट की गयी। तद्नुसार तहसीलदार भीलवाडा ने नामान्तरकरण संख्या 121 को दिनांक 05.12.1978 को पारित कर दिया गया, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता। कार्यालय ग्राम पंचायत सवाईपुर पंचायत समिति कोटडी के पत्रांक/ग्रा पं. /2021/स्पे. 2 दिनांक 11.11.2021 से अपीलार्थीया श्रीमती घीसी देवी पत्नी काशीराम गाडरी को भूरा पिता मोडा गाडरी निवासी तस्वारिया की पुत्री बताया गया है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत पालडी के पत्रांक/ ग्रा पं. पा. /2021–22 दिनांक 11.11.2021 अनुसार श्रीमती घीसी देवी पत्नी काशीराम गाडरी को भूरा पिता मोडा गाडरी की पुत्री बताया गया है। इन्ही आधार पर मृतक भूरा पिता मोडा गाडरी के विरासतन की सम्पूर्ण जांचकर, हितबद्ध पक्षकारों की सुनवायी कर एवं सभी तथ्यों व दस्तावेजात की जांच कर तथा मृतक मोती के वारिसान की भी सम्पूर्ण जांच कर अजसिरे निर्णय पारित किये जाने हेतु इस न्यायालय के अपील प्रकरण संख्या 46/2021 निर्णय दिनांक 22.11.2021 से निर्णय पारित किया गया। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण संख्या 12/2022 दर्ज कर पक्षकारों की सुनवायी की जाकर, बाद जांच नामान्तरकरण संख्या 1320 दिनांकित 02.01.2023 पारित किया गया जिसमें घीसी पुत्री भूरा गाडरी को देउ पत्नी मोती गाडरी का 1/3 में से 1/2 हिस्सा अर्थात 1/6 हिस्सा राजस्व अभिलेख में दर्ज करने का आदेश प्रदान किया गया जो विधिनुरूप सही है।

माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त अजमेर के प्रकरण अपील/एल.आर संख्या / 2022/396/जिला भीलवाडा निर्णय दिनांक 06.02.2023 के पेज नं. 08 के पैरा नं. 02 अनुसार "उत्तराधिकार एवं संरक्षण अधिनियम 1956 की धारा 11 के अनुसार विधिमान्य दत्तक के लिये यह आवश्यक हैं कि दत्तक लिया जाना व दत्तक दिया जाना साबित होना चाहिये। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी को देउ बेवा मोती गाडरी द्वारा गोद लिये जाने का अंकन किया हैं, जबकि गोद लेने व देने के दौरान लेने वाले माता–पिता व देने वाले माता पिता की सहमति आवश्यक हैं, जबकि देउ बेवा मोती द्वारा ही गोदनामा अपीलार्थी के पक्ष में निष्पादित कराया हैं, जबकि गोदनामा निष्पादित करते समय माता पिता

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

दोनों का जीवित होना आवश्यक हैं। चूंकि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत प्रत्यर्थी संख्या 01 घीसी पुत्री भूरा प्रथम श्रेणी की वारिस होने के कारण उसके पिता भूरा के हिस्से की आराजियात में उसका पूर्ण हक एवं अधिकार हैं।"

रेस्पोडेण्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत बडगावत की पोथी को कानूनी मान्यता नही होने से इस प्रकरण में उस पर निर्णय किया जाना न्यायोचित नही ठहरता हैं। रेस्पोडेण्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त अजमेर के निर्णयानुसार सभी पक्षकारों की पूर्ण सुनवायी की जाकर एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का भलीभांति परीक्षण किये जाने के उपरांत यह पाया गया कि अपील प्रकरण में अंकित सजरे व हिस्से अनुसार पक्षकारों का हक हिस्सा राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाने हेतु अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव –

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती हैं। तहसीलदार भीलवाडा को आदेशित किया जाता हैं कि अपील प्रकरण में अंकित सजरे व हिस्से अनुसार पक्षकरानों का हक हिस्सा राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीलवाडा को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.12.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ब्रह्म लाल जाट)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाडा